



Neutral Citation No. - 2026:AHC:28461

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 3633/2026

द्वारिका

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता : अजीत शुक्ला, नीलम मिश्रा, सोमैंद्र सिंह

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में ग्राम पुरा बाल नारायण, पोस्ट रामगढ़, परगना रौनापार, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ में स्थित भूमि आराजी संख्या 54 और 226 पर अवैध अतिक्रमण पाया गया था। यह तर्क दिया गया कि एक बार रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाने के बाद, ग्राम प्रधान/राजस्व अधिकारी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए बाध्य हैं।
2. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि यदि याची द्वारा प्रत्यर्थी संख्या-4/तहसीलदार, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ के समक्ष उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत कार्यवाही शुरू की जाती है, तो प्रत्यर्थी संख्या-4 शीघ्रता से उचित आदेश पारित करेंगे।
3. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका को याची को यह निर्देश देते हुए निस्तारित किया जाता है कि वह आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर प्रत्यर्थी संख्या-4/तहसीलदार, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ के समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत प्रावधानुसार उचित आवेदन प्रस्तुत करे। यदि याची ऐसा करता है, तो प्रत्यर्थी संख्या-4 उस पर कानून के अनुसार कड़ाई से उचित आदेश पारित करेंगे, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

9 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सकलन

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"